217

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2015 पुनरीक्षण

सोहनलाल पुत्र राममूरत पाठक
निवासी ग्राम किरहाई तह. जवा जिला रीवा
..... आवेदक

विरूद्ध:

1. रामायण प्रसाद पुत्र कान्ता प्रसाद
2. मोहनलाल पुत्र रामलाल तिवारी
दोनों निवासीगण ग्राम किरहाई तह जवा जिला रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर जिला रीवा द्वारा प्र.कं. 67/अ–6 अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2015 के विरूद्ध म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, वादग्रस्त भूमि आवेदक ने अनावेदक मोहनलाल से वर्ष 1995 में अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। आवेदक नेभूमि का प्रतिफल राशि पांच लाख रूपये विक्रेता मोहनलाल को अदा कर दिया था।लेकिन विक्रय पत्र रजिस्टर्ड नहीं कराया था। आवेदक ने वर्ष 1995 से ही कब्जा प्राप्त कर आज दिनांक तक मौके पर काबिज होकर कृषि कर रहा है।

3– यह कि, वादग्रस्त भूमि विक्रेता मोहनलाल ने आवेदक की चोरी छिपे अनावेदक कं. 1 रामायण प्रसाद को विक्रय कर दी जबकि विक्रेता को पुनः विक्रय करने का अधिकार नहीं था जब विक्रेता मोहनलाल वर्ष 1995 से आवेदक को विक्रय कर कब्जा दे चुका था तब उस स्थिति में पुनः अनावेदक कं. 1 रामायण प्रसाद के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र शून्य होकर अवैध है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3721–दो/2015 जिला– रीवा

सोहनलाल विरूद्ध रामायण प्रसाद व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–02–2019	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक की ओर से श्री एम.पी. भटनागर अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर जिला–रीवा के प्र. क्र. 67/अ–6 अपील/2014–2015 में पारित आदेश दिनांक 30–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 18–4–2019 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य	